26

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

R 4353-I-16

प्र.क्र.

1. रामलाल तनय परमलाल सौर (आदिवासी)
2. निर्भयसींग तनय लालसींग सौर (आदिवासी)

निवासी ग्राम बदौना तह. व जिला सागर

.....निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

विरूद्व

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 130 / अ–21 / 15–16 पारित आदेश दिनांक 12 / 11 / 16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बदौना स्थित भूमि खसरा क्र 311 रकवा 1.21 हे. आवेदक क्र 1 के पिता एंव आवेदक क्र 2 को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उनको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। जिसमें से आवेदक क्र 1 द्वारा रकवा 0.20 हे एंव आवेदक क्र 2 0.60 हे भूमि को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4353/16 जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.12.16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र. क्र. 130/अ–21/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 12/11/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि ग्राम मौजा बदौना तह. व जिला सागर स्थित खसरा क्र 311 रकवा 1.21 हे भूमि आवेदक क्र 1 के पिता एंव आवेदक क्र 2 को बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि में से आवेदक क्र 1 रामलाल द्वारा अपने हिस्से का रकवा 0.20 हे एंव आवेदक क्र 2 निर्भय सींग द्वारा अपने हिस्से का रकवा 0.60 हे को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे कलेक्टर सागर द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार सागर को प्रेषित किया गया परंतु तहसीलदार सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर सागर द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया था कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि अनउपजाउ है जिस कारण से उनको उसपर काश्तकारी करने में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	अत्याधिक कठनाई हो रही है तथा वह ठीक तरीके से काश्तकारी नहीं कर पा रहे है जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। साथ ही साथ आवेदक क्र 2 को अपनी पुत्री का विवाह हेतु पैसों की आवश्यकता भी है। उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय का इकरार अनिल साहू तनय रामकिशन साहू निवासी संत कबीर वार्ड, सागर से किया गया है तथा वह भूमि को इकरारग्रहीता अनिल साहू को विक्रय करना चाहते है। आवेदकगण का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त अपने निवास स्थान के समीप अन्य भूमि क्रय करेगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।	
	4— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है वह उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। कलेक्टर सागर में वर्णित तहसीलादार प्रतिवेदन के बिन्दुओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का कुछ रकवा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने के उपरांत आवेदकगण के पास अन्य भूमि शेष बचती है जिस। तथा आवेदक क्र 2 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक	

 R 4353-I/16 (निगरानी)

... तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/11/16 निरस्त किया जाता है तथा मौजा बदौना स्थित भूमि खसरा क्र 311 में से आवेदक क्र 1 रामलाल को रकवा 0.20 हे एंव आवेदक क्र 2 निर्भयसींग को रकवा 0.60 हे भूमि अनिल साहू तनय रामकिशन साहू को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विकय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	